न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्याः— 305 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
गणपतसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत निवासी खिन्दाकोर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।		तहसीलदार ओसियां

उपस्थित—

प्रार्थी :—अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।

अप्रार्थी :— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक 21/01/2020

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः— प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 313 बीघा 01 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश भंवरसिंह पुत्र बचनसिंह दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि गणपतसिंह पुत्र बचनसिंह के नाम से बने हुए हैं। उक्त सभी दस्तावेजों की प्रतियां तथा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बैंक ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि

सहायक कर्मचारी ओसियां

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 84 रकबा 313 बीघा 01 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भंवरसिंह पुत्र बचनसिंह दर्ज है जो गलत है, उसके स्थान पर सही नाम गणपतसिंह पुत्र बचनसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें भी भंवरसिंह पुत्र बचनसिंह नाम से अन्य व्यक्ति न होने से भंवरसिंह बचनसिंह के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र बचनसिंह शुद्धि किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 313 बीघा 01 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भंवरसिंह पि. बचनसिंह के स्थान पर गणपतसिंह पि. बचनसिंह दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 21/01/2021 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner